(वाद संख्या–4947/17)

05.08.2019

परिवादी, रामा शंकर द्विवेदी, कनीय आयुक्त पदाधिकारी 671 आर्मी एविएषन एस्कवार्डन–डिब्रूगढ़, केयर ऑफ 99 ए0पी0ओ0 उपस्थित है।

परिवादी को सुना।

प्रस्तुत मामला परिवादी को भा0द0स0 की धाराओं 341,323,504379 व अनु0जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत गोह थाना कांड संख्या 111/16, दिनांक–13.10.2016 में गलत रूप फंसाये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी का अपने गोतिया से भूमि विवाद है तथा एक रास्ता की जमीन को लेकर उनके बीच विवाद चला आ रहा है। उक्त विवाद को लेकर परिवादी द्वारा तीन आपराधिक मामले (गोह थाना में कांड सं0–68/16, 15/15 तथा 110/16) संस्थित किये गय जबकि परिवादी के गोतिया व उसके साथियों द्वारा परिवादी के विरूद्ध पांच आपराधिक ममले (गोह थाना में कांड सं0–16/15, 67/16, 111/16, 27/18 तथा 118/19) दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त परिवादी के विरूद्ध एक और आपराधिक मामला 27/18 दाउदनगर थाना में दर्ज कराया गया है।

परिवादी का कथन है कि उपरोक्त 09 आपराधिक मामलों में से गोह थाना कांड सं0–118/19 को छोड़कर शेष आठ मामलों में पुलिस द्वारा अनुसंधानोपरान्त आरोप–पत्र समर्पित किया जा चुका है तथा उक्त आठ मामले वर्त्तमान में विचारण हेतु न्यायालय में विचाराधीन है।

परिवादी की ओर से उपरोक्त 09 मामलों में से मात्र गोह थाना कांड सं0–111/16, दिनांक–13.10.2016 में उसके अभियुक्तिकरण को इस आधार पर गलत बताया जा रहा है कि दिनांक–13.10.2016 को उसकी ओर से (1) परासर दुबे (2) चन्द्रभूषण दुबे तथा (3) सुनिल पासवान के विरूद्ध परिवादी को उसके घर पर मारने के नियत पहुँचने, परिवादी को उसके घर पर न मिलने पर उसके पिता को गला दवाने व फैट–मुक्का से मारने व उनके कुर्ता से रुपया निकालने के आरोप में भा0द0स0 की धाराओं, 341, 323, 504, 379/34 के अन्तर्गत अपराह्न 3:00 बजे दर्ज किये जाने के बाद पुलिस द्वारा उक्त घटना का एक प्रतिकांड सुनील पासवान के लिखित आवेदन के आधार पर परिवादी, रामा शंकर दुबे, के विरूद्ध उसे उसके जाति का नाम लेकर गाली–ग्लौज करते हुए मार–पीट करने एवं जेब में रखे रुपया को ले लेने, जान से मारकर फेंक देने की धमकी देने तथा पेंट–रंग को छिंट देने के आरोप में भा0द0स0 की धाराओं, 141,323,504,427,379 व अनु0जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अप0 3:30 बजे गोह थाना कांड सं0–111/16, दिनांक–13.10.2016 के रूप में दर्ज किया गया। परिवादी का आगे कथन है कि गोह थाना कांड संख्या–110/16 में उसके द्वारा दाखिल लिखित प्रतिवेदन में उसका यह कथन है कि वह दिनांक–13.10.2016 को अप0 2:00 बजे से लेकर 3:00 बजे अप0 तक गोह थाना परिसर में था तो उसी दिन अपराह्न 2:30 की घटना बताकर पुलिस द्वारा गोह थाना कांड सं0–111/16 दर्ज कर दिया गया जिससे गोह थाना कांड संख्या 111/16 असत्य प्रतीत होता है।

परिवादी का यह भी कथन है कि गोह थाना कांड सं0–110/16 की केस डायरी के अनुच्छेद–11 के अनुसार उस दिन अप0 5:20 बजे तक कांड सं0–110/2016 के अभियुक्तगण (कांड सं0–111/16 का सूचक सहित) फरार थे तो अपराह्न 3:30 बजे उनके द्वारा कांड सं0–111/16 दर्ज कर लिया गया। इससे भी कांड संख्या 110/16 असत्य प्रतीत होता है।

किसी भी आपराधिक कांड को लेकर उभय पक्ष की ओर से मामले दर्ज कराये जा सकते हैं तथा कई बार दोनों (कांड व प्रतिकांड) में न्यायालय द्वारा सजा दी जाती है। प्रसंगाधीन प्रकरण में पुलिस द्वारा उपरोक्त दोनो कांडों में अनुवेषणोपरान्त आरोप–पत्र समर्पित किया जा चुका है तथा दोनों मामले अभी न्यायालय में विचाराधीन है।

उपरोक्त तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त सभी मामले न्यायालय में विचाराधीन है तथा परिवादी द्वारा उसे प्राप्त अधिकारों का न्यायालय के समक्ष विधिनुसार उपयोग किया जा रहा है।

अतः ऐसी परिस्थिति में प्रस्तुत मामले को मानवाधिकार आयोग में जारी रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रस्तुत मामले को बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक